

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ~~पंचायत समिति चूरु~~

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

वज्रलाल

बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत रिकॉर्ड दुबाली इन्तर्गट धारा 88

मुकदमा नम्बर :- 134/2022

निर्णय दिनांक :- 15-06-22

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम बाहरिया चारगान खाता सं. 150 खं. नं. 473/73, 476/27 की जमा बुंदी में अंकित नाम विजय कुमार पुत्र नारंग राम के स्थान पर वज्रलाल पुत्र नारंग राम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के विरुद्ध निर्णय पूर्व में आपराधिक प्रकार दण्ड के त्रा सरकारी वकालत की विधि में पूर्व नाम की मान्य हेतु 1 व 2 सीलदार चूरु उस्तादुला राजस्थान अभिलेख में अमल दराम्त में खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

